# न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
अवधेश मरांडी।

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या– **378 / 2020–21,**

केस का प्रकार– **बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं साईकिल के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।**

| ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **–: आदेश :–**<br>प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 31 / म0नि0 एवं दिनांक–09.01.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव विशेष वाद संख्या– 545 / 2019, में जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त साईकिल के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–मुख्तार मंदिर, थाना–बिहरा, घटना की तिथि– 10.11.2019 के साथ वर्णित है कि–<br>"मद्यनिषेध अभियान के तहत गश्ती क्रम में लगभग आठ बजे सुबह में एक व्यक्ति को साईकिल से बोरे में संदिग्ध अवस्था में बोरे को बोकर डरे–सहमे देखा। अवैध शराब के शक होने के कारण साईकिल चलाने वाले व्यक्ति को विधिवत रोका, अगल–बगल व्यक्ति नहीं होने के कारण अपने ही टीम के अधीनस्थ बिहार गृहरक्षा वाहिनी को स्वतंत्र साक्षी मानकर विधिवत बोरे की तलाशी ली गई। तलाशी क्रम में साईकिल के पीछे बंधे बोरे से एक 15 ली0 व एक 05 ली0 क्षमता वाले दोनो प्लास्टिक के गैलन में पूरा भरा अवैध महुआ चुलाई शराब पाया व जप्त कर जप्त नमुना प्रदर्श तैयार किया। व्यक्ति का नाम व पता पूछताछ कर गिरफ्तारी की गई व गिरफ्तारी ज्ञांप तैयार की गई। आवश्यक कानूनी कार्रवाई घटना स्थल पर विधिवित सम्पन्न की गई। जप्ती सूची की एक प्रति अभियुक्त को दी गई। उपयुक्त सारी कार्रवाई बि0म0नि0 व उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(ए) के अन्तर्गत की गई।"<br>प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त साईकिल के अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है। | |

| | | |
|---|---|---|
| | उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त साईकिल के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।<br>वाहन मालिक अवधेश मरांडी, पिता– स्व0 फागू मरांडी, साकिन– मटियानी वार्ड नं0 01, थाना– बिहरा, जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके ओर से मद्यनिषेध विभाग द्वारा दर्ज मामले को गलत बताकर एवं स्वयं को निर्दोष बताकर जप्त साईकिल को मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।<br>राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त साईकिल का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त साईकिल को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।<br>साईकिल मालिक के ओर से दाखिल लिखित पक्ष का अवलोकन किया एवं राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।<br>यद्यपि उक्त जप्त साईकिल से अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था, तदापि उक्त साईकिल मालिक पर सहानभूतिपूर्वक विचार करते हुए उक्त जप्त साईकिल को कड़ी चेतावनी के साथ इस शर्त के साथ विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि यदि साईकिल मालिक भविष्य में अवैध शराब से संबंधित किसी भी क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जायेंगे तो उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। संबंधित अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को मुक्ति आदेश निर्गत करे।<br>इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।<br>लेखापित एवं शुद्धिकृत।<br>Sd/- 23/12/2020<br>समाहर्त्ता<br>सहरसा।<br>Sd/- 23/12/2020<br>समाहर्त्ता<br>सहरसा। | |

ज्ञापांक 1069...../न्याया०, सहरसा, दिनांक 23.12.20

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Sd/- 23.12.20

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

23/12/20